

फर्द अहकाम

रिश्ताल सिंह बनाम विशाल सिंह वर्मा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या.....05...../2024

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
(क्याता)		<p>लगवाने के बाद भी पार्सि कि ओर से कोई उप. नहीं होने के कारण पार्सि पर अरम हाजरी एवं अरम पैरवी में खासि किया जाता है। पत्रावली में कुल मुमाद होने पर देव नम्बर से कम हो बाह्य दायिले रफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;">२६ उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>